न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 72/2023
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांकः– 24.10.2024

1. प्रभू पुत्र नानगराम, जाति कुमावत, निवासी देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर।
2. रमेश पुत्र नानगराम, जाति कुमावत, निवासी देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर।
3. रामकिशन पुत्र नानगराम, जाति कुमावत, निवासी देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर।
4. श्योप्रसाद पुत्र नानगराम, जाति कुमावत, निवासी देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर। **(मृत्तक)**
   4/1. नन्द किशोर पुत्र श्योप्रसाद
   4/2. राकेश पुत्र श्योप्रसाद
   4/3. विमला देवी पुत्री श्योप्रसाद
   4/4. लक्ष्मा देवी पत्नी श्योप्रसाद
   समस्त जातियान कुमावत निवासी लदाना तहसील फागी जिला दूदू

प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगल पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी ग्राम देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर राज. **(मृत्तक)**
   1/1. ओमप्रकाश पुत्र मंगल
   1/2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगल
   1/3 लक्ष्मा देवी पत्नि मंगल
   समस्त जातियान बैरवा निवासी देवनगर तहसील फागी जिला दूदू।
2. मदनलाल पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी ग्राम देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर राज. **(मृत्तक)**
   2/1. पुरण पुत्र मदनलाल
   2/2. धर्मप्रकाश पुत्र मदनलाल
   2/3. हंसराज पुत्र मदनलाल
   2/4. हंसा पुत्री मदनलाल
   2/5. मंशा पुत्री मदनलाल

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

2/6. विमल देवी पत्नि स्व0 मदनलाल
समस्त जातियान बैरवा निवासी देवनगर तहसील फागी जिला दूदू।

3 रमेश पुत्र रामलाल, जाति बैरवा निवासी ग्राम देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर राज.

4 राजेश पुत्र रामलाल, जाति बैरवा निवासी ग्राम देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर राज.

5 तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील प्रार्थीगण
श्री भगवान सिंह राजावत वकील अप्रार्थीगण
अप्रार्थी सं. 5 पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र

निर्णय दिनांकः– 24.10.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी का खाता संख्या 185 के आराजी खसरा नं. 662, 666, 667, 668, 669, 680, 681 कुल किता 8 कुल रकबा 2.6048 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम देवनगर, पटवार हल्का लदाना, भू0अ. नि. क्षेत्र लदाना तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित भूमि में उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 664 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665 रकबा 1.3550 हैक्टेयर भूमि के लगता खसरा नम्बर 652 गै0मु0 रास्ते पर जुडता है। जिस पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 662, 666, 667, 668, 669, 680, 681 में आने जाने के लिए प्रतिपक्षी की खातेदारी खसरा नम्बर 664 व 665 की मेर के लगवा से दर्शाया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा की ओर खसरा नम्बर 664 व 665 के लगवा खसरा नम्बर 652 गैर मुमकिन रास्ते से नजदीक पर स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 664 व 665 के प्रतिपक्षी भूमि धारक है। प्रतिपक्षी की भूमि के उक्त खसरा नम्बरान में से प्रार्थीगण की खातेदारी में जोत हेतु आने–जाने के लिए उपयुक्त है इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं खुलता है। चारों तरफ कोई

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

नियमित मार्ग नहीं है। आज से पूर्व प्रार्थीगण बुजुर्गों के समय से उक्त खसरा नम्बर 664 व 665 की मेर से मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ दर्शित रास्ते से अपने कृषि उपकरण पशु, अपनी खातेदारी में से लाते ले जाते थे व उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण करते है। परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 664 व 665 के ताराबंदी करने से प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में आने जाने की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रस्तावित मार्ग को संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से मार्क ए बी सी डी से सुविधा के लिए दर्शाया गया है। प्रतिपक्षी के खसरा नम्बर 664 व 665 में मार्क जी, एच, आई, जे, के, एल व एल से ए तक कृषि भूमि में तारबंदी कर ली है व प्रार्थीगण के बुजुर्गों के समय से बने रास्ते मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ पर प्रतिपक्षी तारबंदी करने में आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को कदमी समय से बने रास्ते के आवागमन में परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए कदमी समय से बने रास्ते को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में रिकोर्डेड रास्ता किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षी को रास्ते की एवज में मुआवजा राशि जो श्रीमान तय फरमाये प्रार्थी अदा करने को तैयार है तथा उपर्युक्त प्रतिपक्षी के खसरा नं. 664 व 665 के खातेदारी भूमि में से होकर कदमी समय से बने हुए रास्ते को रास्ता बाद जांच प्रदान किया जाना न्यायोचित है। आराजी मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से श्रीमान को सुनवाई का एवं प्रकरण निस्तारण करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3 व 4 की ओर से वकील श्री भगवान सिंह राजावत उपस्थित हुए तथा जवाब पेश कर जवाब के अतिरिक्त कथन में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार से रास्ता चाहा गया है वो गलत है क्योंकि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी खाता संख्या 185 के खसरा नम्बर 662, 666, 667, 668, 679, 680, 681 कुल किता 7 कुल रकबा 2.6048 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा सम्पूर्ण में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 840

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

गै.मु. रास्ता से होकर खसरा नम्बर 690/1 की मैड के लगवा आते–जाते है एवं दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 652 गै.मु. रास्ता से होकर खसरा नम्बर 663 में से आते–जाते है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आने–जाने हेतु दो–दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग हेतु रास्ते की मांग नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण के आने–जाने में उपयोग किये जा रहे चालु रास्ते का जवाब आवेदन पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शित किया गया है। मीन अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के लघु सीमांत काश्तकार है जो कि उपर्युक्त आराजीयात पर काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है प्रार्थीगण मीन अप्रार्थीगण से ईर्ष्यावश व हैरान परेशान करने के लिए यह रास्ते का आवेदन पत्र पेश करके मीन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो कि रास्ता के लगवा है को हडप कर जाने पर आमादा है। मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को उपर्युक्त आवेदन पत्र के आधार पर मीन अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता दे दिया जाता है तो अपूरणीय क्षति होगी एवं मीन अप्रार्थीगण की सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थीगण जबरन हडप कर लेंगे इसलिए मान्य न्यायालय से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश कर बताया कि ग्राम देवनगर की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 जमाबन्दी 2076 से स्थायी से खाता सं. 185 में खसरा नं. 662 रकबा 0.2655, खसरा नं. 666 रकबा 0.4679, खसरा नं. 667 रकबा 0.2655, खसरा नं. 668 रकबा 0.4173, खसरा नं. 679 रकबा 0.2529, खसरा नं. 680 रकबा 0.4046, व खसरा नं. 681 रकबा 0.5311 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.6048 हैक्टेयर में खातेदार प्रभू पुत्र नानगराम हिस्सा 1/4, रमेश पुत्र नानगराम हिस्सा 1/4 व रामकिशन पुत्र नानगराम हिस्सा 1/4 जाति कुमावत सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खसरा नं. 666 व 668 के उत्तरी दिशा में लगता हुआ खसरा नं. 665 है। खसरा नं. 665 के उत्तरी दिशा में खसरा नं. 652 रकबा 0.5817 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता है ग्राम देवनगर

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

की जमाबन्दी संवत 2070–2073 जमाबन्दी 2076 से स्थायी के खाता सं. 119 खसरा नं. 665 के उत्तरी दिशा में खसरा नं. 652 रकबा 0.5817 हैक्टेयर किस्म गै. मु. रास्ता है ग्राम देवनगर की जमाबन्दी संवत 2070–2073 जमाबन्दी 2076 से स्थायी के खाता सं. 119 खसरा नं. 665 रकबा 1.3530 हैक्टेयर भूमि जो ओप्रकाश पुत्र मंगल हिस्सा 1/15, कौशल्या देवी पुत्री मंगल हिस्सा 1/15, ममता देवी पुत्री मंगल हिस्सा 1/15, राजेन्द्र प्रसाद बैरवा पुत्र मंगल हिस्सा 1/15 लछमादेवी पति मंगल हिस्सा 1/15, मदनलाल पुत्र रामकुवांर हिस्सा 1/3 राहिन हिस्सा 1/7 एस.बी.आई. शाखा फागी, राजेश पुत्र रामलाल हिस्सा 1/6 राहिन हिस्सा 1/14 एस.बी.आई. शाखा फागी जाति बैरवा सा. देह दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं आवेदक के खसरा नं. 662, 666, 667, 668, 679, 680, 681 कुल किता 7 कुल रकबा 2.6048 हैक्टेयर भूमि पर पहुँच मार्ग के लिए वैकल्पिक रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं है आवेदित रास्ता ही प्रार्थीयों का आवागमन का एकमात्र रास्ता होगा। ग्राम देवनगर की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 जमाबन्दी 2076 से स्थायी से खाता सं. 119 खसरा नं. 665 रकबा 1.3530 हैक्टेयर भूमि ओमप्रकाश पुत्र मंगल वर्ग. जाति बैरवा के दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खाता सं. 121 में खसरा नं. 664 रकबा 0.4426 हैक्टेयर भूमि ओमप्रकाश पुत्र मंगल वर्ग. जाति बैरवा के दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीयों के खसरा नं. 662, 666, 667, 668, 679, 680 व 681 कुल किता 7 कुल रकबा 2.6048 हैक्टेयर भूमि पर पहुंच मार्ग के लिये रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं होने के कारण खातेदारी भूमि खसरा नं. 665 रकबा 1.3530 हैक्टेयर भूमि में रिकॉर्डेड रास्ता किया जाना न्यायोचित होगा क्योंकि खसरा नं. 665 खसरा नं. 652 किस्म गै.मु. रास्ता से लगता हुआ है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा नं. 665 में खसरा नं. 664 की ओर मेर पर दिया जाना उचित होगा।

ग्राम देवनगर के आराजी खसरा नं. 665 मे से आवेदित रास्ते की चौडाई 30 फीट अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड नक्शा डीआईएलआरएमपी शीट अनुसार लम्बाई 196 फीट (59.75 मीटर) बनती है। इस प्रकार प्रभावित भूमि रास्ते हेतु कुल

लगातार.................6

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

रकबा 9.14 X 59.75 = 546.115 वर्गमीटर अर्थात 0.0546 हैक्टेयर बनती है। उक्त प्रभावित भूमि की डीएलसी दर संलग्न प्रमाणित सूची अनुसार है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251 (क) स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा 14 फिट चौडा रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये 14 फीट रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की खाता सं. 185 के आराजी खसरा नं. 662, 666, 667, 668, 669, 680, 681 भूमि वाके ग्राम देवनगर के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु उक्त हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबंदी 2070–2073 वाके ग्राम देवनगर के खाता सं. 185 में प्रार्थीगण 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 119 व 121 में अप्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोग के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है– अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किये जाने पर ही नवीन रास्ता कायम किये जावें। तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थीगण के आराजी खाता संख्या 185 के आराजी खसरा नं. 662, 666, 667, 668, 669, 680, 681 पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं है। आवेदित रास्ता ही प्रार्थीगण का आवागमन का एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा नं. 665, खसरा नं. 652 किस्म गै0मु0 रास्ता से लगता हुआ है। अप्रार्थी के

लगातार.....7

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

अधिवक्ता ने भी अपनी बहस मे विवादग्रस्त आराजी मे 14 चौडा रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। प्रार्थीगण को अपने खेत पर पहुंचने के लिए खसरा नं. 665 में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 (क) उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) स्वीकार किया जाकर संलगन नजरी नक्शानुसार डी0एल0सी0 दर का दो गुना भुगतान प्रार्थीगण द्वारा खातेदारान को अदा किये जाने पर विवादग्रस्त आराजी 662, 666, 667, 668, 669, 680, 681 भूमि वाके ग्राम देवनगर तहसील फागी मे स्थित आराजी मे पहुॅच हेतु ख0न0 665 मे से 14 फीट चौडा X 196 फीट लम्बाई रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि भुगतान की रसीद से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- दूदू